

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(47)नविवि / 3 / 1998 पार्ट जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.05.2012 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित फलौदी मास्टर प्लान—2023 की समयावधि क्षितिज वर्ष—2023 को समाप्त हो रही है, की एतद्वारा एक वर्ष की अवधि अथवा नवीन मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.1999 के द्वारा अधिसूचित “फलौदी नगरीय क्षेत्र” के लिए लागू रहेगा।

(रवि विजय)  
शासन उप सचिव—प्रथम

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, फलौदी।।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नर नियोजक(पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, फलौदी, जिला—फलौदी।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

**शासन उप सचिव—प्रथम**

RajKaj Ref  
7919338

